

(48)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक प.8(ग)()नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/ 4091

दिनांक : 30/4/2012

-: अधिसूचना :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18 वर्ष 2009) की धारा 329 अंतर्गत धारा 337 एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/ 25-4090 दिनांक 30.04.2012 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर नमूद द्वितीय श्रेणी की नगर पालिकाओं को एतद्वारा नगर परिषद् घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	वर्तमान नगर पालिका	परिवर्तित नगर परिषद्
01.	नगर पालिका बाडमेर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् बाडमेर ✓
02.	नगर पालिका बांसवाडा (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् बांसवाडा ✓
03.	नगर पालिका बूंदी (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् बूंदी ✓
04.	नगर पालिका चित्तौडगढ़ (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् चित्तौडगढ़ ✓
05.	नगर पालिका झुंजरपुर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् झुंजरपुर ✓
06.	नगर पालिका धौलपुर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् धौलपुर ✓
07.	नगर पालिका जैसलमेर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् जैसलमेर ✓
08.	नगर पालिका जालौर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् जालौर ✓
09.	नगर पालिका झालावाड (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् झालावाड ✓
10.	नगर पालिका नागौर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् नागौर ✓
11.	नगर पालिका सवाईमाधोपुर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् सवाईमाधोपुर ✓
12.	नगर पालिका दौसा (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् दौसा ✓
13.	नगर पालिका बांरा (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् बांरा ✓
14.	नगर पालिका प्रतापगढ़ (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् प्रतापगढ़ ✓
15.	नगर पालिका सिरोही (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् सिरोही ✓
16.	नगर पालिका करौली (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् करौली ✓
17.	नगर पालिका राजसमन्द (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद् राजसमन्द ✓

यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

र ७
(ताराचन्द मीणा)
उप शासन सचिव

क्रमांक प.8(ग)()नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/ 4092- 4368 दिनांक : 30/4/12
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजपत्र के असाधारण विशेषांक में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां राजपत्र की उपलब्ध कराने हेतु ।
02. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर ।
03. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
04. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0 जयपुर ।
06. आयुक्त, विकास एवं पंचायत विभाग, सचिवालय, राज0 जयपुर ।
07. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर ।
08. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान ।